(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 75/2015–2020
दिनांकः 25 फरवरी, 2019

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.54(घ) (v) iv में संशोधन।

सा.आ. (अ): विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा ऐसे समुद्री पत्तनों जहां सुरक्षित देशों/क्षेत्रों से आने वाले धात्विक स्क्रैप के आयात के मामले में पूर्व–पोतलदान निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) में छूट दी गई है, की सूची में मुंद्रा पत्तन को शामिल करते हुए पैरा सं. 2.54 (घ) (v) (iv) में संशोधन करते हैं। संशोधित पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

संशोधित पैरा 2.54 (घ) (v) iv: उद्गम देश से धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप की आयात खेप पूर्व–निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) के अधीन होगी। तथापि, सुरक्षित देशां/क्षेत्र अर्थात यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरापीय संघ से आयातित धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप (खंडित आर अखंडित दोना) हेतु पीएसआईसी की आवश्यकता नहीं होगी यदि खेप को **सात (7)** पत्तनों नामतः चेन्नई, तुतीकोरिन, कांडला, जेएनपीटी, मुम्बई, कृष्णापटटनम और **मुंद्रा** से निकासी दी गई है। इन पांच देशा/क्षेत्रों से खेप के साथ आपूर्तिकर्ता/स्क्रैप यार्ड प्राधिकारी से इस आशय का प्रदान किया गया प्रमाण पत्र संलग्न होगा कि इसमें कोई भी रेडियाधर्मी सामग्री/विस्फोटक शामिल नहीं है। तथापि यह इन पत्तनो पर पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर के माध्यम से रेडियोधर्मी और विस्फोटक जांच के अधीन होगा। इन देशों/क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांस–शिपमेंट की इस सुविधा से अनुमति नहीं दी जाएगी। नौ(9) पत्तनों सहित सभी अन्य पत्तनों के माध्यम से आयात (खंडित स्क्रैप/अपशिष्ट हेतु) उद्गम देश को ध्यान में रखे बिना पीएसआईसी के अधीन होगा।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** मुद्रा पत्तन को ऐसे सातव पत्तन के रूप में शामिल किया जाता है जहां सुरक्षित देशों/क्षेत्रों से आयातित धात्विक स्क्रैप के मामले में पीएसआईसी की आवश्यकता नहीं है। इससे पैरा 2.54 के तहत धात्विक स्क्रैप के आयात हेतु समुद्री पत्तनों की कुल संख्या 14 से बढ़ाकर 15 की जाती है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft.@nic.in

(फाइल सं. 01/89/180/53/एएम–01/पीसी–2 [ख]/खण्ड VII/ई–2382 से जारी)